न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 35/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

गजानन्द पुत्र घीसा जाति खटीक नि0 ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 24.6.25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जावली, पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 189/1 रकबा 2.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में गजानन्द पुत्र घीसा जाति खटीक ग्राम जावली तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार गजानन्द का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्ते भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 तलबी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जावली, पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 189/1 रकबा 2.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में गजानन्द पुत्र घीसा जाति खटीक ग्राम जावली तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रामदेव का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

35/2021

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम जावली के आराजी खसरा नम्बर 189/1 रकबा 2.5290 है0 भूमि की अप्रार्थी गजानन्द पुत्र घीसा के नाम नामान्तकरण संख्या 277 दिनांक 28.06.1994 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। उक्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश 707 दिनांक 15.04.1994 की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा अप्रार्थी गजानन्द पुत्र घीसा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। खसरा गिरदावरी संवत 2053 से 2056 तथा 2073 से 2076 के अनुसार उक्त भूमि बंजड रही है जिस पर कोई काश्त नहीं की गयी है। भूमि आवंटन नियम 14(3) में स्पष्ट रुप से आवंटन शर्तों का उल्लेख किया गया है कि आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि में कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से को जोतना पडेगा और शेष को दूसरे वर्ष में। लेकिन तहसीलदार इस अवधि को 1 वर्ष तक बढा सकता है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2021 के अनुसार आवंटी का कोई कब्जा नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 31.03.1994 निरस्त कर भूमि खसरा नम्बर 189/1 रकबा 2.5290 है0 वाके ग्राम जावली हाल ग्राम फागणापुरा पटवार हल्का सीतारामपुरा तहसील फुलेरा को सिवायचक घोषित कर आवंटन पूर्व प्रविष्टि अनुसार गैर खातेदारी से पुनः राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय. में आज दिनांक 24.6.25.......... को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर